न्यायालय सहायक जिलाधीश (एस0डी0ओ0), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 104/17

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
छोगा पुत्र वगता फोत के कायम मुकाम 1. सतीश कुमार पुत्र छोगाजी 2. उमेश कुमार पुत्र छोगाजी 3. प्रणव पुत्र छोगाजी 4. पंकीबेन पत्नि छोगाजी जाति माली निवासी जालोर तहसील जालोर		1. भूपेन्द्र पुत्र भगवानजी 2. संवेदना पत्नि जितेन्द्र गेहलोत 3. प्रियंका पुत्री भगवानजी 4. प्रिती पुत्री भगवानजी जाति माली निवासी शास्त्री नगर जालोर

दरख्वास्त बाबत जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री उत्तमकुमार अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :- 23/10/19

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा जालोर ए के पुराने ख0नं0 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। जिसके सह खातेदारान भोमा, परखीया, पून्मा, छोगा (प्रार्थीगण) भगवाना (अप्रार्थीगण) पिसरान वगताजी की संयुक्त खातेदारी बहिस्सा बराबर-बराबर कब्जा काश्त था। जिसका बंटवाडा नियमानुसार किया जाकर म्यूटेशन नं0 94 द्वारा ए.एस.ओ. द्वारा किया गया बंटवाडा के बाद निम्न इन्द्राज उक्त म्यूटेशन के जरिये दर्ज हुए (1) पूरसिंह पुत्र अजीतसिंह राजपूत, भोमा पुत्र रावता खसरा नं0 1582/1 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, (2) परखीया वल्द वगता खसरा नं0 1582/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा (3) पून्मा पुत्र वगता ख0नं0 1582/3 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा (4) छोगा पुत्र वगता ख0नं0 1582/4 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा (5) भगवाना पुत्र वगता ख0नं0 1582/5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा दर्ज हुआ। उपरोक्त बंटवाडा अनुसार भगवाना पुत्र वगता के हिस्से में गत रेकर्ड के अनुसार 12 बीघा 3 बिस्वा का हिस्सा ही विवादित है। रिसेटलमेंट कार्यवाही के दौरान उक्त के वर्तमान खसरा नम्बरान 1131 रकबा 2.35 हे0, ख0नं0 1132 रकबा 1.97 हे0, ख0नं0 1135 रकबा 1.97 हे0, ख0नं0 1136 रकबा 1.98 हे0, ख0नं0 1137 रकबा 0.98 हे0, ख0नं0 1138 रकबा 0.98 हे0 कुल खसरा 6 रकबा 10.22 हे0 बने है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों को गत रेकर्ड अनुसार ही वर्तमान रेकर्ड में इन्द्राज करने के अधिकार है लेकिन ख0नं0 1132, 1135, 1136, 1137, 1138 में समान रूप से रकबा प्रत्येक खसरे का 1.97 हे0 दिया गया। ख0नं0 1131 के खातेदार भगवाना पुत्र वगता के नाम पर रकबा 2.35 हे0 का पर्चा खतौनी भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने जारी किया। उसमें 0.40 हे0 बेसी (अधिक) रकबा दिया गया। भगवाना पुत्र वगता भी 1.97 हे0 ही गत रेकर्ड व म्यूटेशन नं0 94 के अनुसार प्राप्त करने का हकदार है। सेटलमेंट अधिकारियों का कृत्य क्षेत्राधिकार से बाहर होने से उक्त बेसी (अधिक) रकबा 0.40 हे0 अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जाकर 0.08 हे0 का प्रार्थीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदारी हक की घोषणा की जाकर प्रार्थीगण के नाम रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज किया जावे। उक्त बेसी रकबा 0.40 हे0 बेसी (अधिक) रकबा गलत दर्ज किया गया है जिस पर उनका कभी कब्जा नही रहा है। अप्रार्थीगण ने आपस में बंटवाडा करने के कारण उक्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से गलत दर्ज है। इसलिये इन्हे पक्षकार बनाया है। संवत् 2068 से 2071 में अप्रार्थी सं0 1 के नाम पर खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.47 हे0 6516/1131 रकबा 0.47 हे0, अप्रार्थीगण सं0 2 के नाम पर 6515/1131 रकबा 0.47 हे0, अप्रार्थीगण सं0 3 के नाम पर ख0नं0 6517/1131 रकबा 0.47 हे0 व अप्रार्थी सं0 4 के नाम पर ख0नं0 6518/1131 रकबा 0.40 हे0 में से 0.08 हे0 भूमि कम करके प्रार्थीगण को इसके खातेदारी हक घोषित की जावे। इस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रि-सेटलमेंट से भी पूर्व समय से है। इस आराजी में हमारे पूर्वज छोगा वल्द वगता का 1/5 हिस्सा पुश्तैनी हक व कब्जे के आधार पर 0.08 हे0 खातेदारी हक की घोषणा की जावे। उक्त आराजी ख0नं0 1131 रकबा 0.47 हे0 में से 0.08 हे0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रिसेटलमेंट के समय से पूर्व समय से है। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 का नाम गलत दर्ज है। हमारे कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकारी नही

सहायक जिलाधीश (एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

है। शेष अप्रार्थीगण उनके परिवार के सदस्य होने के कारण उसका गलत सहयोग कर रहे है तथा विवाद बढाने में लगे हुए है।

मूल ख0नं0 1131 रकबा 2.35 हे0 का बंटवाडा हुआ है। भूपेन्द्र पुत्र भगवाना के खाते में 6516/1131 रकबा 0.47 हे0 तथा एक अन्य खाता भूपेन्द्र के नाम से उसमें मूल ख0नं0 1131 रकबा 0.47 हे0 प्रियंका पुत्री भगवाना के खाते में ख0नं0 6517/1131 रकबा 0.47 हे0, प्रिती पुत्री भगवाना के खाते में ख0नं0 6518/1131 रकबा 0.47 हे0 व संवेदना पत्नि जितेन्द्र के खाते में 6515/1131 रकबा 0.47 हे0 दर्ज है। उपरोक्तानुसार उपरोक्त सभी अप्रार्थीगण में 0.38 हे0 गलत रेकर्ड से अधिक दर्ज हुआ जिसमें से 0.08 हे0 का दावा हक खातेदारी घोषणा का पेश किया। जिसमें से अप्रार्थीगण सभी उक्त आराजी को बेचान रहन आदि करने की कोशिश में है। अगर बेचान आदि कर दिया तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होगी तथा मुकदमे बाजी बढेगी जिसे रोकने के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित है। गत रेकर्ड व हाल रेकर्ड की गणना करने के आधार पर प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया साबित है तथा उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का कब्जा डिस्टर्ब नही हुआ है। इस आधार पर सुविधा का भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अतः मूल ख0नं0 1131 रकबा 2.33 हे0 मिन नम्बर सहित आराजी को अप्रार्थीगण बेचान हस्तान्तरण रहन आदि नही करे व न ही मौके की स्थिति व रेवेन्यू रेकर्ड में बदलाव करे व रेकर्डस की स्थिति व मौके की स्थिति को यथावत ताफैसला दावा रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निशेधाज्ञा के जरिये पाबंद करावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत होने से पूर्व दिनांक 29.07.2019 को अन्तरिम अस्थायी निशेधाज्ञा इस अमर की जारी की गई कि विवादित आराजी मौजा जालोर ए के ख0नं0 6515/1131 से 6518/1131 तक व 1131 क्रमश रकबा 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47 भूमि की मौका की एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। साथ ही अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से किसी को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि न करे।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रस्तुत किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा जालोर ए के पुराने ख0नं0 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा की आराजी परखीया, पूनमा, रावता, छोगा एवं भगवाना पिसरान वगताजी की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की थी। संयुक्त खातेदारो की पुश्तैनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किये जाने हेतु संयुक्त खातेदारों की आपसी सहमति व राजीनामा के जरिये वाद उप जिला कलक्टर जालोर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.1991 जारी कर बंटवाडा किया गया था के अनुसार खातेदार रावता वल्द वगता ख0नं0 1582/1 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, परखीया वल्द वगता ख0नं0 1582/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, पूनमा वल्द वगता ख0नं0 1582/3 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, छोगा वल्द वगता ख0नं0 1582/4 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, भगवाना वल्द वगता ख0नं0 1582/5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा बंट में आई। उसी माफिक प्रार्थीगण के पिता छोगा व अप्रार्थीगण के पिता भगवाना अपने-अपने हक हिस्सा पर काबिज काश्त हुए थे। वादग्रस्त उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बरान 1131, 1132, 1135, 1136, 1137 व 1138 बने थे। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना अनुसार सभी खातेदारान अपने-अपने हिस्सा पर काबिज भी हुए थे। जिसमें रिसेट्लमेंट की कार्यवाही का कोई औचित्य नही है। प्रत्येक का बराबर-बराबर हिस्सा 12 बीघा 3 बिस्वा यानि 1.97 हे0 आया था। अप्रार्थीगण के पिता भगवाना के ख0नं0 1131 रकबा 2.35 हे0 था जो बेसी रकबा भगवाना के खाते में अधिक आया है जो भगवाना के स्वयं का कब्जा शुदा काश्तशुदा खातेदारी आराजी का रकबा है न कि पुश्तैनी आराजी का है। प्रार्थीगण ने न्यायालय को अंधेरे में रखकर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा कास्तशुदा आराजी को पुश्तैनी बताकर जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह निराधार व झूठा है। प्रार्थीगण जिस पुश्तैनी आराजी की घोषणा करवाना चाहते है वह सभी सह खातेदारों को पूर्व में बहिस्सा बराबर-बराबर पूर्व में हुए निर्णय अनुसार सभी को प्राप्त हो चुकी है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने के बावजूद वाद प्रस्तुत करना ''रेस ज्यूडीकेय'' की श्रेणी में आता है। जिससे दावा व प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारीज फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण किसी के स्वयं की कब्जासुदा कास्तसुदा आराजी को पुश्तैनी बताकर उसमें घोषणा प्राप्त नही कर सकते है। केवल मात्र अपनी पुश्तैनी आराजी में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। जो उनको निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.1991 के तहत प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के पास नवीन खसरा नम्बर 1131 रकबा 2.35 हे0 की आराजी है जिसमें बेसी रकबा 0.38 हे0 अप्रार्थीगण व उनके पिता भगवाना का स्वयं का कब्जा कास्त शुदा खातेदारी आराजी है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण को अपनी स्वयं की खातेदारी कब्जासुदा कास्तसुदा आराजी में उपयोग व उपभोग करने व उसको विकसित करने से रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को काफी असुविधा होगी एवं मुकदमेबाजी बढेगी व अप्रार्थीगण को काफी क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण ने अपनी संपूर्ण आराजी में प्लोटिंग कर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

उसको बेचान कर दी है। वर्तमान में उसकी आराजी का नेचर परिवर्तन भी हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास कोई आराजी नही है केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने व अदालत का समय व्यतीत करने हेतु पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की सुनी गई। मूल वाद का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की इस प्रार्थना पत्र व वाद में यह इस्तदुआ है कि गत ख0नं0 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा के सह खातेदार भोमा, परखीया, पूनमा, छोगा (प्रार्थीगण) भगवाना (अप्रार्थीगण) पिसरान वगताजी की संयुक्त सह खातेदारी बहिस्सा बराबर-बराबर कब्जा कास्त थी जिसका बंटवाडा किया जाकर पूरसिंह पुत्र अजीतसिंह राजपूत, भोमा पुत्र रावता को खसरा नं0 1582/1 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, परखीया पुत्र वगता को 1582/2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, पूनमा पुत्र वगता को ख0नं0 1582/3 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, छोगा पुत्र वगता को खसरा नम्बर 1582/4 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा व भगवाना पुत्र वगता को ख0नं0 1582/5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा दिया गया। रिसेटलमेंट के कर्मचारियों को गत रेकर्ड के अनुसार इन्द्राज करना था। लेकिन ख0नं0 1132, 1135, 1136, 1137, 1138 को समान रूप से प्रत्येक को 1.97 हे0 दिया परन्तु ख0नं0 1131 के खातेदार भगवाना पुत्र वगता के नाम 2.35 हे0 का पर्चा जारी किया। उसमें 0.40 हे0 बेसी रकबा दिया है। इस बेसी रकबे में से प्रार्थीगण 0.08 हे0 रकबा के खातेदारी हक की घोषण करवाने के हकदार है। इस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रिसेटलमेंट से पूर्व के समय से ही है। गत ख0नं0 1582/5 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा को हेक्टर प्रणाली में बदलने पर 1.96 हे0 की बनता है। जबकि उसके खाते में 2.35 हे0 गलत दर्ज किया है। इसलिये प्रार्थीगण में पूर्वज छोगा वल्द वगता का 1/5 हिस्सा पुश्तैनी हक व कब्जे के आधार पर 0.08 हे0 हक खातेदारी का अधिकारी है। उक्त गत ख0नं0 1582/5 के हाल मूल ख0नं0 1131 रकबा 2.35 हे0 का अब बंटवाडा कर प्रत्येक अप्रार्थीगण को 0.47 हे0 दिया गया है। अतः सभी अप्रार्थीगण में 0.38 हे0 गलत रेकर्ड से अधिक दर्ज हुआ है। जिसमें से प्रार्थीगण 0.08 हे0 की खातेदारी की इस्तदुआ करते है। सभी अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बेचान रहन आदि करने की कोशिश में है। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा मुकदमेबाजी बढेगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि विवादित आराजी का अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण रहन आदि नही करे व मौके की स्थिति व रेवेन्यू रेकर्ड में बदलाव नही करे।

अप्रार्थीगण का कथन है कि पुश्तैनी आराजी गत ख0नं0 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा का बंटवाडा किया जाकर सभी सह खातेदारान को बराबर-बराबर भूमि दे दी गई थी। इस बंटवाडा के अनुसार प्रार्थीगण के पिता भगवाना के नवीन हिस्से में रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा यानि 1.97 हे0 आया था व रिसेटलमेंट में बने नवीन ख0नं0 1131 रकबा 2.35 हे0 बना था जो बेसी रकबा आया है जो भगवाना के स्वयं के कब्जा काश्त खातेदारी आराजी का रकबा है न की पुश्तैनी आराजी का रकबा है एवं प्रार्थीगण के न्यायालय को अंधेरे में रखकर इस बेसी आराजी का 0.08 हे0 रकबा अपना कब्जा सुदा व पुश्तैनी आराजी का बताकर झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है बल्कि प्रार्थीगण को स्पष्ट जानकारी है कि जो आराजी पुश्तैनी थी जिसके पुराने ख0नं0 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा को जरिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.91 को बहिस्सा बराबर-बराबर 12 बीघा 3 बिस्वा के अनुसार विभाजित कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने पुश्तैनी आराजी का हक हिस्सा घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। जबकि पुश्तैनी खातेदारी की आराजी का बंटवाडा जरिये निर्णय एवं डिक्री में हो चुका है जो बेसी रकबा है। वह प्रार्थीगण के स्वयं की कब्जा कास्त शुदा खातेदारी आराजी है उसे पुश्तैनी आराजी बताकर उसमें घोषणा प्राप्त नही कर सकते है। केवल मात्र अपनी पुश्तैनी आराजी के हकदार है। जो उनको निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.1991 के तहत प्राप्त हो चुका है बेसी रकबा 0.38 हे0 अप्रार्थीगण के पिता भगवाना का स्वयं का कब्जा कास्त शुदा खातेदारी की आराजी का है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को काफी असुविधा होगी। अप्रार्थीगण ने कब्जाशुदा कास्तशुदा आराजी को काफी रूपये लगाकर विकसित किया है। जिसके उपयोग व उपभोग में प्रार्थीगण को दखलन्दाजी करने का हक अधिकार नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है। अप्रार्थीगण ने संपूर्ण आराजी में प्लोटिंग कर उसको बेचान कर दी है। अब उनके पास कोई आराजी नही है केवल मात्र जमाबंदी में अपने नाम का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने हेतु यह दावा पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

मूल वाद में एवं प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन के अनुसार नकल जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 में गत ख0नं0 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा रावता, पुनमा, परखीया, छोगा, भगवाना पि0 वगता के नाम खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2017 से 2021 में यह खसरा नम्बर 1582 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा अहमदअली वल्द बरकत अली चूडीगर के खातेदारी की दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2017 से 2021 खाता सं0

सहायक सिविल न्यायाधीश (क.खं.) (प्र.श्रे.)

Scanned by CamScanner

505 में यह आराजी वगता वल्द पीरा माली के नाम खातेदारी की दर्ज है। अर्थात यह आराजी वगता पुत्र पीरा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दादा द्वारा खरीद की गई थी। वगता अथवा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता की पुश्तैनी आराजी नही होकर यह आराजी खरीदशुदा आराजी थी। उप जिला कलक्टर जालोर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.1991 के अवलोकन अनुसार भी यह आराजी खरीदशुदा सभी खातेदारों की सह खातेदारी की है। इसी निर्णय व डिक्री के अनुसार उक्त गत ख0नं0 1582 का विभाजन कर सभी सह खातेदारान को बराबर-बराबर आराजी बंटवाडे में दी गई। बंटवाडे में अप्रार्थीगण के पिता भगवाना रिसेटलमेंट विभाग द्वारा 12 बीघा 3 बिस्वा की बजाय 2.35 हे0 आराजी की खातेदारी दर्ज की गई है। रिसेटलमेंट के खसरा पत्रक की नकल में भगवाना के प्राप्त रकबे 12 बीघा 3 बिस्वा की बजाय दुरस्त रकबा 2.35 हे0 दर्ज किया। पर्चा खतोनी में भी रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा की बजाय 2.35 बीघा दर्ज किया गया है। जिसके नये ख0नं0 1131 है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह तथ्य सही है कि रिसेटलमेंट द्वारा भगवाना को बंटवाडे में प्राप्त आराजी 12 बीघा 3 बिस्वा की अर्थात 1.97 हे0 की बजाय 2.35 हे0 दर्ज करके भगवाना के खाते में रकबा 0.38 हे0 बेसी दर्ज की गई है। प्रार्थीगण का कथन है कि यह रकबा पुश्तैनी है अतः उसे पुश्तैनी हक हिस्से के अनुसार 0.08 हे0 रकबा खातेदारी में घोषित कर प्रदान किया जावे। इस रकबे पर उसका कब्जा कास्त है। अप्रार्थीगण का कथन है कि बंटवाडे में प्राप्त रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा के अतिरिक्त अर्थात 0.38 हे0 बेसी भूमि उसके कब्जे कास्त की पुश्तैनी आराजी है। चुंकि प्रार्थीगण भी उक्त आराजी अर्थात बेसी आराजी 0.38 हे0 में से 0.08 हे0 भूमि को पुश्तैनी बताते हुए इस पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए खातेदारी की घोषित करने व अस्थायी निषेधाज्ञा की इस्तदुआ करते है। चुंकि यह आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दादा वगता पुत्र पीरा के खरीद शुदा थी। खरीदशुदा आराजी होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की यह विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी होना नही पायी जाती है। इसके उपरांत भी यह माना जावे कि प्रार्थीगण की दादा की आराजी होने से इसे पुश्तैनी आराजी होना माना जाकर इस बेसी आराजी 0.38 हे0 में उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। वस्तुतः यह बेसी आराजी पुश्तैनी आराजी नही है। पुश्तैनी आराजी का संयुक्त सहखातेदारों के बीच पहले से ही उप जिला कलक्टर के न्यायालय में बंटवाडा हो चुका है। अतः 0.08 हे0 भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि होने के कोई आधार नही है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2015 (2) पर प्रतिपादित निर्णय केसरबाई उर्फ पुष्पाबाई बनाम ताराबाई व अन्य निर्णय दिनांक 14.03.2014 प्रस्तुत किया जिसमें यह न्यायिक मत प्रतिपादित किया गया है कि पारिवारिक व्यवस्था से अलग छोडी गई संपति का विभाजन तक की वाद संपति संयुक्त स्व अर्जित संपति थी साबित करने हेतु सबूत का भार वादी पर होता है। हम इस न्यायिक प्रतिपादित मत से इस हद तक सहमत है कि संयुक्त स्व अर्जित संपति होने के बिन्दू को साबित करने का भार वादी का रहता है। इस प्रकरण में विवादित आराजी जिसका रकबा 0.08 हे0 को प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी व कब्जाशुदा होना बताते है। जिस आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा की ईस्तदुआ करते है के संबंध में ऐसा कोई आधारयुक्त साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित रकबा 0.08 हे0 प्रार्थीगण का पुश्तैनी व कब्जा कास्त का रहा हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा कास्त होने के संबंध में भी प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जिससे यह साबित नही होता है कि प्रार्थीगण का इस विवादित आराजी 0.08 हे0 पर प्रार्थीगण का कब्जा कास्त हो इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना नही पाये जाने मे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाये जाने व कब्जा कास्त के साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाये जाने से प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा 29.07.2019 को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23/10/19 को सुनाया गया।

सहायक जिलाधीश
(एस.डी.ओ.)
जालोर

23/10/19

(चम्पालाल जीनगर-आर.ए.एस)
सहायक जिलाधीश
(एसडीओ) जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.12.06 18:03:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: